संख्या- 9/2016/2992 /33-2-16-212(7)/96 टीसी

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
5- उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ0प्र0, लखनऊ।
6- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त वित्तीय परामर्शदाता, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2016

विषय:- अध्यक्ष, जिला पंचायतों को अम्बेसडर कार के स्थान पर इनोवा वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि अम्बेसडर कार की निर्माण यूनिट बन्द हो जाने के कारण प्रदेश सरकार के प्रशासकीय विभागों के उपयोगार्थ वाहन क्रय के संबंध में शासनादेश संख्या-844/18-2-2014-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 30 अक्टूबर, 2014 द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर प्रदेश के प्रशासकीय विभाग अम्बेसडर कार के स्थान पर डी0जी0एस0 एण्ड डी की दरों पर रू0 7.00 लाख मूल्य तक के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते है।

2- उपर्युक्त के क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/403/18-2-15-125(ल0उ0)/2014, दिनांक 22 मई, 2014 द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

(1) मण्डलायुक्त, जिलाधिकारीगण, विभागाध्यक्ष, जोन के प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक, रेंज के प्रभारी पुलिस उप महानिरीक्षक तथा जनपद प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के लिए इनोवा वाहन जिसकी लागत रू0 14.00 लाख से अनधिक होगी, वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते है।

(2) अन्य अधिकारियों के लिये जिन्हें पहले अम्बेसडर कार अनुमन्य थी, उन्हें रू0 7.00 लाख के स्थान पर रू0 8.50 लाख तक मूल्य के वाहन वित्त विभाग की सहमति से क्रय कर सकते हैं।

3- उल्लेखनीय है कि अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद का वरिष्ठ निर्वाचित पदाधिकारी होता है। अत: सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को अम्बेसडर कार के स्थान पर इनोवा वाहन इस शर्त के साथ (वित्त विभाग की सहमति से) क्रय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त वाहन क्रय पर आने वाला व्यय भार जिला पंचायत अपने स्रोतो से वहन करेंगी। इसके लिए राज्य सरकार से कोई धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- वाहन क्रय किये जाने की अनुमति पूर्व की भाँति वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की सहमति से प्रदान की जायेगी।

5- वाहन क्रय के संबंध में पंचायती राज अनुभाग-2 द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों की शर्ते यथावत लागू रहेगीं।

6- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरविन्द प्रधान)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।